

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052021-227014 CG-DL-E-17052021-227014

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1763]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2021/वैशाख 27, 1943

No. 1763]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2021/VAISAKHA 27, 1943

विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2021

का.आ. 1890(अ).—राष्ट्रपति, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश लिलत को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

[फा.सं. ए-60011/44/2015-एलएपी (न्याय)]

बरुण मित्रा, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Department of Justice) NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2021

S.O. 1890(E).—In exercise of the powers conferred under Clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the President is pleased to nominate Hon'ble Shri Justice Uday Umesh Lalit, Judge, Supreme Court of India, as Executive Chairman, National Legal Services Authority, with immediate effect.

[F.No. A-60011/44/2015-LAP(JUS)]

BARUN MITRA, Secy.

2662 GI/2021